

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज०)

पीठासीन अधिकारी: रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 88/2015

उनवान

(1) गट्टू पिता धुलिया जाति भोई निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

बनाम

- (1) कचरा पिता धुलिया जाति भोई निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (2) मणिलाल पिता धुलिया जाति भोई निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (3) सुखलाल पिता धुलिया जाति भोई निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (4) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक: 20.8.20


संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा आंजना पटवार हल्का आंजना की खाता संख्या 364 (नई) 329, 385 (पुरानी) के कुल कित्ता 12 रव 0.82 हे० भूमि के बटवारा का वाद धारा 53, 209 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दौराने कार्यवाही पत्राव राजस्व लोक अदालत शिविर-आंजना पर पेश होने पर प्रकरण में पक्षकारान् के निहित हित के अनुसार बटवारा करने का निर्णय पारित किया जाकर निर्णय की प्रति वास्ते फलन तहसीलदार, गढ़ी को भिजवाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार गढ़ी द्वारा नीचे वर्णित अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पटवार हल्का	खातेदार का नाम	सर्वे नम्	रकबा (हे)
1	आंजना	आंजना	कचरा पिता धुलिया भोई सा.देह खातेदार	4369/1	0.03
				4371/1	0.02
				4905/1	0.03
				4963/1	0.03
				5093/1	0.03
				5099	0.02
			5131	0.04	
			योग:-	07	0.20
2	आंजना	आंजना	सुखलाल पिता धुलिया सा.देह खातेदार	4369/2	0.03
				4371/2	0.03
				4905/2	0.04
				4963/2	0.02
				5093/2	0.02
			5100	0.06	
			योग:-	06	0.20
3	आंजना	आंजना	गट्टू पिता धुलिया भोई सा.देह खातेदार	4369/3	0.02
				4371/3	0.03
				4905/3	0.03
				4963/3	0.03


4	आंजना	आंजना	शकुन्तला पुत्री मणीलाल भोई सा. देह खातेदार	4369 / 4	0.02
				4371 / 4	0.03
				4905 / 4	0.03
				4963 / 4	0.03
				5093 / 4	0.03
				5119	0.04
				5130	0.03
			योग:-	07	0.21


 (रामचन्द्र खटीक)
 उपखण्ड अधिकारी
 गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

तहसीलदार, गढ़ी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारान् का खाता विभाजित कर पटवार हल्का आंजना के मौजा आंजना की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 70 (नई) 329, 364 (पुरानी) के सर्वे नम्बरान्/रकबा उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की पृथक से अन्तिम डिक्री जारी कर निर्णय व डिक्री की छाया प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार, गढ़ी को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को जारी किया गया।


 उपखण्ड अधिकारी
 गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : रामचन्द्र खटीक (अ
प्रकरण संख्या: 88/2015

उनवान

(1) गट्टू पिता धुलिया जाति भोई निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

बनाम

- (1) कचरा पिता धुलिया जाति भोई निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (2) मणिलाल पिता धुलिया जाति भोई निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (3) सुखलाल पिता धुलिया जाति भोई निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
- (4) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय

—: प्रतिवा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया कि तहसीलदार, गढ़ी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार नीचे वर्णित 'खातेदारान्' का खाता विभाजित पटवार हल्का आंजना के मौजा आंजना की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 70 329, 364 (पुरानी) के सर्वे नम्बरान्/रकबा उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार दर्ज करने का दिया जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी कर निर्णय व डिक्री की छाया प्रति वास्ते पटवार तहसीलदार, गढ़ी को भिजवाई जाती है:-

दिनांक: 20

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पटवार हल्का	खातेदार का नाम	सर्वे नम्	रकबा (है)
1	आंजना	आंजना	कचरा पिता धुलिया भोई सा.देह खातेदार	4369/1	0.03
				4371/1	0.02
				4905/1	0.03
				4963/1	0.03
				5093/1	0.03
				5099	0.02
			योग:-	5131	0.04
2	आंजना	आंजना	सुखलाल पिता धुलिया सा.देह खातेदार	07	0.20
				4369/2	0.03
				4371/2	0.03
				4905/2	0.04
				4963/2	0.02
				5093/2	0.02
			योग:-	5100	0.06
3	आंजना	आंजना	गट्टू पिता धुलिया भोई सा.देह खातेदार	06	0.20
				4369/3	0.02
				4371/3	0.03
				4905/3	0.03
				4963/3	0.03
				5093/3	0.03
			योग:-	5121	0.03